कार्यालयः– महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़।

निविदा सूचना

निदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा जारी आदेशों की पालना में इस कार्यालय के अधीन चालक प्रशिक्षण स्कूल, पंचकुला में हैवी वाहन चालक का प्रशिक्षण देने के लिए अनुबन्ध आधार पर बतौर प्रशिक्षक की डियूटी हेतु हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, चण्डीगढ़ के कार्यालय की सामान्य सेवाऐं शाखा–2 के क्रमांक 16/7/2015/1GSII दिनांक 06.04.2015 द्वारा जारी की गई आउटसोर्सिग पोलिसी के पार्ट–2 के तहत राज्य परिवहन विभाग/आर्मड फोर्सिज/पैरा–मिलीट्री फोर्सिज से सेवानिवृत 65 वर्ष से कम आयु वाले मैडिकली फिट 8 चालकों को लघु अवधि के लिए नियुक्त करने हेतू आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं, जो दिनांक 22.12.2016 तक सांय 04.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों का दिनांक 28.12.2016 को सुबह 10.00 बजे साक्षात्कार एवं टैस्ट लिया जायेगा। अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति उपरान्त उन्हें नवनियुक्त चालकों को देय (पै बैण्ड+ग्रेड पे+सरकार द्वारा समय–2 पर संशोधित डीए) का 50 प्रतिशत वेतन के रूप में दिया जायेगा। नियम व शर्ते निम्नलिखित हैंः–

1. उम्मीदवार दसवीं कक्षा पास होना चाहिए।
2. उम्मीदवार शारीरिक तौर पर फिट हो और वह अपना मैडिकल फिटनैस प्रमाण–पत्र साथ लायें।
3. उम्मीदवार के पास हैवी वाहन चलाने का वैध चालक लाईसैन्स होना चाहिए।
4. पदों की संख्या आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए घटाई व बढ़ाई भी जा सकती है, जिसका पूरा अधिकार महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़ को होगा।
5. उम्मीदवार को नियुक्ति के पश्चात् केवल एक साप्ताहिक विश्राम ही दिया जायेगा।
6. उम्मीदवार का यदि किसी कारणवश कार्य सन्तोषजन न पाया गया तो उस अवस्था में उसे बिना कोई नोटिस दिए हटा दिया जायेगा/कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
7. उम्मीदवार किसी भी प्रकार की स्थाई नियुक्ति के क्लेम का पात्र नहीं होगा।

नोटः– **आवेदन पत्र एवं नियम–शर्तो की प्रति चालक प्रशिक्षण स्कूल, पंचकूला के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।**

महाप्रबन्धक,

हरियाणा राज्य परिवहन, चण्डीगढ़।

28/11/16